सत्यमेव जयते

संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/A15-32/2019

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : 31 मई, 2022**

महोदय,

कृपया आपके पत्र संख्या–3628 दिनांक 28 सितम्बर, 2019, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा यू0आई0एच0एम0टी0 कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल साईंसेज एण्ड टैक्नोलॉजी, मोहकमपुर, देहरादून को बी0एससी0 एम0एल0टी0, बी0एम0आर0आई0टी0 एवं बी0एससी0 एम0एम0 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराया गया है।

2– शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलपति की संस्तुति एवं कुलसचिव की आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम–2014 की धारा–36(1) के अर्न्तगत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा छात्रहित में अनुमति/स्वीकृति निम्न उपबन्धों के साथ प्रदान की गई है :–

महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुति के अनुसार)	अस्थायी सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4
यू0आई0एच0एम0टी0 कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल साईंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, मोहकमपुर, देहरादून।	बी0एससी0 एम0एल0टी0	25	2019–20
	बी0एम0आर0आई0टी0	25	
	बी0एससी0 एम0एम0	25	

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के मानक पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व कृत कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध करायें।

(2) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, कार्यपरिषद् की आवश्यकता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए संस्थान को सम्बद्धता दिये जाने से पूर्व यू0जी0सी0 विनियमों/राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम तथा शासन द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी। ताकि अध्ययनरत् छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(3) संस्थान की प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णित आदेश का अनुपालन कराना विश्वविद्यालय का दायित्व होगा तथा शासन द्वारा निर्णय लिये जाने तथा इस सम्बन्ध में एक शपथ–पत्र संस्थान से प्राप्त कर इस सचिवालय को भी प्रेषित किया जाए।

(4) चूंकि शैक्षिक सत्र 2019–20 व्यतीत हो चुका है। इसके दृष्टिगत छात्रहित में मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा सत्र 2019–20 की सम्बद्धता स्वीकृति प्रदान की गई है। किन्तु अगेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0/नियामक संस्था/शासन द्वारा निर्धारित मानको के अनुसार पूर्ण हो। इस सम्बन्ध में संस्थान को सम्बद्धता दिये जाते समय कठोर निदेश निर्गत किये जाए। अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(5) अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियमों व नियामक संस्था के अनुसार ससमय निर्धारित सारिणी के अनुसार मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 844 (1)/जी0एस0 (शिक्षा)/A15-32/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, यू0आई0एच0एम0टी0 कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल साईंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, मोहकमपुर, देहरादून ।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(स्वाति एस0 भदौरिया)
कुलाधिपति के अपर सचिव।